तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
29/10/21	पत्रावली आज दिनांक 29.10.2021 को नायब तहसीलदार बिसाऊ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तलब की गई। नायब तहसीलदार बिसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1699, 1700 व 1738 में जाने के लिए उक्त खसरा नम्बरान के दक्षिण–पश्चिमी कोने से ख0न0 1739 रकबा 0.30 है0, ख0न0 1740 रकबा 5.60 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में से प्रचलित रास्ता लगता है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि से बिसाऊ से गांगियासर जाने वाली मुख्य सड़क से 400 मीटर दूरी पर है एवं वर्तमान में दोनो तरफ से तारबंदी कीजाकर सुचारू रूप से चालू है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है :– यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 1699, 1700 व 1738 रकबा क्रमशः 2.99, 0.08 व 0.03 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.10 है0 में जाने के लिए राजकीय भूमि ख0न0 1697 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह व 1698 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में सेरास्ता 30 फुट का रास्ता चाहा गया है प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि में जाने हेतु किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं लगता है अतः प्रार्थी को उक्त राजकीय भूमि में से 30 फीट का रास्ता दिया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं नायब तहसीलदार बिसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क के तहत राजकीय भूमि से होकर रास्ता चाहने बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के प्रावधान खातेदारी भूमि तक सीमित है राजकीय भूमि पर 251क के प्रावधान लागू नहीं होते। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसीसुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि मे से होकर रास्ता चाहा गया है नायब तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत ख0न0 1699, 1700 व 1738 में जाने के लिए उक्त खसरा नम्बरान के दक्षिण–पश्चिमी कोने से ख0न0 1739 रकबा 0.30 है0, ख0न0 1740 रकबा 5.60 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में से प्रचलित रास्ता लगता है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि से बिसाऊ से गांगियासर जाने वाली मुख्य सड़क से 400 मीटर दूरी पर है एवं वर्तमान में दोनो तरफ से तारबंदी की जाकर सुचारू रूप से चालू है। धारा 251क में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन मंजूर कर सकेगा। प्रार्थी द्वारा सलंग्न पत्रावली शासन संयुक्त सचिव, राजस्व (ग्रु–9) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.2(63)राज–9/2014 दिनांक 29.9.2014 प्रस्तुत किया है खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन चाहे जाने पर लागू होता है। धारा 251क तहत रास्ता चाहने पर लागू नहीं होता। सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के तहत उल्लेखित प्रावधान सम्पूर्णतः/आंशिक रूप से लागू नहीं होते है जिससे प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का कोई औचित्य नहीं रहता है। बिना किसी औचित्य के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता प्रदत करना धारा 251क के प्रावधानों का उल्लधंन होगा। अतः प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद मुतकिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर